



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-22

आर.पी.ई. सं.- 09/2021

पत्र सं का/भर्ती एवं प्रमोशन/स्पोर्ट्स/चार

दिनांक 04-03-2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

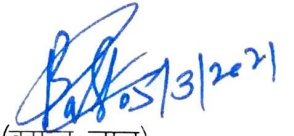
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- वर्ष 2020-21 के लिए टेलेंट स्काउटिंग कोटि के अन्तर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अवधि में छूट ।

.....

रेलवे बोर्ड का पत्र No. 2021/E(Sports)/4(1)/01 Dated 03-02-2021 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।
संलग्नक/यथोपरि


(बसन्त लाल)

वकाधि/आर.पी.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-22

आर.वी.ई. सं.- 09/2021

पत्र सं का/भर्ती एवं प्रमोशन/स्पोर्ट्स/चार

दिनांक 04-03-2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- वर्ष 2020-21 के लिए टेलंट स्काउटिंग कोटि के अन्तर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अवधि में छूट ।

रेलवे बोर्ड का पत्र No. 2021/E(Sports)/4(1)/01 Dated 03-02-2021 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।
संलग्नक/यथोपरि

(बसन्त लाल)

वकाधि/आर.पी.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

 13/2021

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

8/2/2021

प्रमुकाधि...

प्रसादि...

by C.P. 1/1/2

SPOL/1/1/2

Government Of India
Ministry Of Railways
(Railway Board)

RBE No. 09/2021

Clarification/Corrigendum No.115

No. 2021/E(Sports)/4(1)/01

New Delhi, dated 03.02.2021

The General Managers (P),
All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, MCF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO (R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO and NAIR.

Sub.: Relaxation in period of reckoning Sports Achievements for
recruitment against sports quota under Talent Scouting Category
for the year 2020-21.

Ref.: Railway Board's letter No. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (Policy) dated
31.12.2010 (RBE No. 189/2010).

As per existing instructions, the period of reckoning sports achievements for
recruitment against sports quota under Talent Scouting Category is current and/or
immediate previous one financial year. But, due to covid pandemic and nationwide lockdown
most of the national or international championships didn't take place last year.

The condition for reckoning sports achievements for recruitment against sports
quota under Talent Scouting Category has been considered by Board and to give a fair
opportunity to sportspersons for recruitment under Talent Scouting Category in 2020-21,
it has been decided that the sports achievement for this category may be reckoned for
the previous two financial years, same as that for the recruitment under Open
Advertisement category.

This also disposes SERSA's letter No. SERSA/Recruitment/TS&OA/2020-21,
dated 15.01.2021.



(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director, Estt.(Sports)
(Railway Board)

No. 2021/E(Sports)/4(1)/01

New Delhi, dated 03.02.2021

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.

adhee
circulate

---21---

आरबीई सं. 308/2021

स्वास्थ्य/सुविधा सं. 115

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं. 2021/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/01

नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2021

महाप्रबंधक (कामिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना,

रेल कोय फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ और एन.ए.आई.आर/वड़ोदरा

विषय: वर्ष 2020-21 के लिए टैलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अवधि में छूट।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी) (आरबीई सं. 189/2010)।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, टैलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अवधि मौजूदा वर्ष और/या ठीक पिछले एक वित्तीय वर्ष है। परन्तु, कोविड वैश्विक महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष अधिकांश राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित नहीं की जा सकीं।

बोर्ड द्वारा टैलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की शर्त पर विचार किया गया है और वर्ष 2020-21 में टैलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत भर्ती के लिए खिलाड़ियों को उचित अवसर देने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि इस कोटि के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों की खेलकूद उपलब्धियों की गणना की जाए जैसा कि खुले विज्ञापन कोटि के तहत भर्ती के लिए किया गया है।

इससे एसईआरएसए के दिनांक 15.01.2021 के पत्र सं. एसईआरएसए/रिक्रूटमेंट/टीएंडओए/20-21 का भी निपटान हो जाता है।

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)
रेलवे बोर्ड